धारा 105 : [1][प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां]

(1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [2][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,–

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ग) कमीशन जारी करने और लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण, [3][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] *धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [4][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही **धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "**प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां**" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का कमांक 46) की धारा 215 एवं अध्याय XXVIII (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

** देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का कमांक 46) की धारा 229, 267 एवं 233 (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।